डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A) दिनांक:- 08.06.2023

संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशासन/ज०सू०अ०
डी० एफ० सी० सी० आई० एल०
नई दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी- ग्राम- परजानि, पोस्ट- बान, जनपद- कानपुर देहात, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:- I. मुख्यालय द्वारा प्राप्त RTI संख्या- 398 दिनांक 26.05.2023.
II. उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/कानपुर के पत्र संख्या CNB/EN/RTI/16(A)/Y-23/M-05/149 दिनांक 05.06.2023.

उपरोक्त सन्दर्भित RTI पत्र मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में उप परियोजना प्रबन्धक/सिविल/कानपुर द्वारा प्रदान की गयी जानकारी इस पत्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है |

8.06.2023

(विक्रम वलेचा)
कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक/मानव संसाधन/APIO/टूंडला

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार |

प्रतिलिपि:-
1. महाप्रबन्धक/समन्वय/टूंडला को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित |

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-23/M-05/149 दिनांक:–05.06.2023

मुख्य महाप्रबन्धक (समन्वय),
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टुण्डला (आगरा)

विषय:–सूचना अधिकार अधिनियम–2005, के अन्तर्गत, ग्राम–परजनी, तहसील–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात मे श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर, के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–

1- RTI-398 Date 26-05-2023
2- इस कार्यलय का पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-06 Date 27.06.2022 (RTI-840) (संलग्न)
3- इस कार्यलय का पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-03/142 Date 22.03.2022 (RTI-840) (संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर, ग्राम–परजनी, पोस्ट–बान, जिला कानपुर देहात, RTI-398 Dated 26.05.2023 के साथ इस कार्यालय में कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक/एच0आर0/टुण्डला की ई–मेल के माध्यम से दिनांक 29.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त के साथ ही बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है–

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में, बिन्दु सं –01, 02 व 03 के कम मे पूर्व मे सन्दर्भित पत्र–2 व 3 के माध्यम से जवाब दिया जा चुका है। गाटा सं0 527 व 131 ग्राम–परजनी, तहसील–डेरापुर, जनपद–कानपुर देहात मे अधिग्रहीत की गयी भूमि, का अभिनिर्णय वाद सं0 01/2020–21, दिनांक 04.10.2021 को अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी (भू0अ0) द्वारा घोषित किया गया एंव उ0प्र0 सरकार के राजस्व विभाग, जनपद–कानपुर देहात के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिग्रहीत भूमि का नियमानुसार कब्जा रेल मंत्रालय भारत सरकार को किया गया है।

अतः उक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डी0सी0चम्पिया)
उप परियोजना प्रबंधक/इंजी0
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर
05-06-2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक/सिविल, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला।
2. उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/ईजी–II, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला।
3. परियोजना प्रबन्धक/ईजी0, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला।
4. कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक/एच0 आर0/ डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला।

Param Docs

डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर

भारतसरकार (रेल मंत्रालय)कायपकम

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-06 दिनाक:- 21.06.2022

सेवा मे,

मुख्य महाप्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुण्डला (आगरा)

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम-2005, के अर्न्तगत, ग्राम-परजनी तहसील डेरापुर जिला-कानपुर देहात मे श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर, के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :-1. आवेदक का पत्र 06.06.2022
2. संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2022/HQ/ADMIN/RTI-840 Dated 22.06.2022
3. इस कार्यालय का पत्र सं0 CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-03/142 Date 22.03.2022

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर, ग्राम परजनी, पोस्ट-ग्राम जिला कानपुर देहात, जनसूचना अधिकारी सूबेदारगंज को सम्बोधित है, संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, के पत्र 2022/HQ/ADMIN/RTI-840 Dated 22.06.2022 के साथ इस कार्यालय मे उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच०आर०/टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से दिनांक 22.06.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त के साथ ही बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है:-

1. बिन्दु सं0 -1 के सम्बन्ध मे, अवगत कराना है, कि समपार फाटक सं0 3सी0 पर आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु ग्राम-परजनी, तहसील-डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात मे, अधिग्रहीत की भूमि का अभिनिर्णय वाद सं0 01/2020-21 दिनांक 04.10.2021 मे रकबा 0.9343 हे0 एवं अभिनिर्णय वाद सं0 01/2021-22 दिनांक 10.01.2022 मे रकबा 0.0990हे0 अर्थात् कुल रकबा 0.9343 +0.0994 = 1.0337 हे0 सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा चुका है, जिसमे आर0ओ0बी संरेखण के अनुसार, प्रत्येक गाटे पर भिन्न-भिन्न चौड़ाई मे अर्जन किया गया हैं, जिसका विस्तृत विवरण सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

2. बिन्दु सं0 -2 प्रश्नवाचक है, सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत् प्रश्न का उत्तर नही दिया जाना है एवं 20मी0 कम चौडाई मे अर्जित भूमि की जानकारी हेतु विस्तृत विवरण सम्बन्धित राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

3. बिन्दु सं0 -3, के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र-3 के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है कि प्रस्तावित आर0ओ0बी0 की डिजायन (एलाइमेन्ट) की प्रति इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं है।

अत: उक्तानुसार सधूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
परियोजना प्रबन्धक/ईजी0
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/टुण्डला

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डेडीकेटेडफ्रेटकॉरीडोरकारपोरेशनऑफइण्डियालिमिटेड
भारतसरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

1. उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच० आर० डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, टूण्डला।
2. उप परियोजना प्रबन्धक / ई०जी० डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, कानपुर।

(377)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

दिनांक: 22.03.2022

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-03/ 142

142
22/03/2022

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुण्डला (आगरा)

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम- 2005, के अर्न्तगत, ग्राम परजनी, तहसील- डेरापुर, जिला- कानपुर देहात में श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर, के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1. आवेदक का पत्र 28.02.2022

2. सयुक्त महाप्रबन्धक / एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2022/HQ/ADMIN/RTI-338 Dated 15.03.2022

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत् श्री रमाकान्त पुत्र श्यामसुन्दर, ग्राम- परजनी, पोस्ट- बान, जिला कानपुर देहात, जनसूचना अधिकारी सूबेदारगंज को सम्बोधित है, संयुक्त महाप्रबन्धक / एण्डमीन (सी०पी०आई०ओ), नई दिल्ली, के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-338 Dated 15.03.2022 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच०आर० / टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से दिनांक 15.03.2022 को प्राप्त हुआ है।

जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का विस्तृत विवरण यथा समय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है एवं हितबद्ध व्यक्तियों से अपने-अपने हित के प्रकृति का कथन यथासमय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवगत कराने हेतु कहा भी जाता है। भूमि अधिग्रहण आदेशों के अनुसार, प्रतिकर का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, साथ ही सक्षम प्राधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा अधिग्रहीत भूमि का कब्जा रेल मंत्रालय को दिया जाता है। उक्त के साथ ही बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है-

1- बिन्दु सं० -1 प्रश्नवाचक है, सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत् प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाना है।

2- बिन्दु सं० -2, दोनों ओर साइट प्लान एलाइमेन्ट के ब्लू प्रिन्ट की यांछना की गई है, जो कि इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

उक्त के साथ ही यह भी अवगतनीय है कि समपार फाटक-3सी, में सक्षम अधिकारी से भूमि अधिग्रहण एवं भौतिक कब्जे की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए उत्तर मध्य रेलवे को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जानी है। निर्माण कार्य उन्ही के द्वारा किया जाना है।

अत: उक्तानुसार सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन०सी०सिंह)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / कानपुर

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / एच० आर० डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, टूण्डला।
2. उप परियोजना प्रबन्धक, / ई०जी० (नोडल भू०अ०) डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, कानपुर।
3. सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू०अ०), कानपुर नगर।

(एन०सी०सिंह)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / कानपुर